राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
अपर कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/596/2022/.....81.........

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना।
सिविल सर्जन: पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर।

पटना, दिनांक 04/04/2024

विषय: राज्य के AES प्रभावित 12 जिलों में AES रोग के सुरक्षात्मक निवारण हेतु आँगनबाड़ी सेविकाओं (AWW) को आवश्यकतानुसार ORS Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि AES के रोकथाम एवं शीघ्र प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावकारी बनाने के दृष्टिकोण से दिनांक 02.04.2024 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में SKMCH, मुजफ्फरपुर में आहूत बैठक यह निर्णय लिया गया है कि आशा कार्यकर्त्ताओं के अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविकाओं (AWW) को भी ORS का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml का 1 Bottle उपलब्ध कराया जाये। इसी क्रम में 12 जिलों में आँगनबाड़ी सेविकाओं की निम्न संख्या के अनुसार प्रत्येक आँगनबाड़ी सेविका (AWW)को ORS का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml का 1 Bottle दिया जाना है।

क्रमांक	जिला का नाम	आँगनबाड़ी सेविका की संख्या	ORS Sachet की संख्या	Paracetamol Oral Liquid Bottle की संख्या
1	Patna	5300	53000	5300
2	Gopalganj	3000	30000	3000
3	Saran	4211	42110	4211
4	Siwan	3803	38030	3803
5	Darbhanga	4267	42670	4267
6	Samastipur	4913	49130	4913
7	Champaran (E)	5400	54000	5400
8	Champaran (W)	3896	38960	3896
9	Muzaffarpur	5509	55090	5509
10	Sheohar	699	6990	699
11	Sitamarhi	3710	37100	3710
12	Vaishali	3510	35100	3510
Total		**48218**	**482180**	**48218**

2. अत: निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका में जिला के सम्मुख अंकित आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं औषधियों की मात्रा के अनुसार जिलों को ORS एवं Paracetamol Oral Liquid की आपूर्ति संबंधित जिला के जिला औषधि भंडार में करने की कृपा की जाये। जिला औषधि भंडार से प्रखंडवार आँगनबाड़ी केन्द्रों को आँगनबाड़ी सेविकाओं के लिये उपर्युक्त औषधियों का वितरण जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संबंधित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ICDS के संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं की देख-रेख में और उनके उत्तरदायित्व में ORS एवं Paracetamol Oral Liquid आँगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

आँगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध करायी गयी दोनों औषधियों के वितरण एवं खपत का प्रतिवेदन महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को और उनके माध्यम से सिविल सर्जन एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त विधि से जिला स्तर पर आपूर्ति, वितरण एवं खपत का अनुश्रवण जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा ताकि लाभार्थियों तक उक्त औषधि का वितरण सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी स्तर पर औषधियाँ तिथिवाद, दुरूपयोग एवं नष्ट नहीं होने पाये।

3. आँगनबाड़ी सेविकायें बच्चों में AES अथवा अन्य बीमारियों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार में उक्त औषधियों का उपयोग कर सकेंगी। औषधियों के खपत हो जाने एवं अपरिहार्य स्थिति में पुनः इसकी आवश्यकता होने पर आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मांग पत्र समर्पित किया जाएगा और उस मांग पत्र के आधार पर समीक्षोपरांत उपयुक्त संख्या में औषधियों की भरपायी (Replenish) संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार से किया जायेगा। ORS एवं Paracetamol Oral Liquid आँगनबाड़ी सेविकाओं को दिए जाने संबंधी विवरणी की प्रविष्टि प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार पंजी में आँगनबाड़ी सेविकाओं के नाम के साथ किया जाना अनिवार्य है। भंडार पंजी के अनुसार DVDMS में issue के section में issue to third party के drop-down option में AWW option में आँगनबाड़ी सेविका का नाम अंकित करते हुये इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय।

4. अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशो के आलोक में आँगनबाड़ी सेविकाओं (AWW) को दिये जा रहे दोनों औषधियों ORS एवं Paracetamol Oral Liquid का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

Suharshe
04/04/24

(सुहर्ष भगत)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
अपर कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/596/2022/......................

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना।
सिविल सर्जनः पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर।

पटना, दिनांक ....

विषयः राज्य के AES प्रभावित 12 जिलों में AES रोग के सुरक्षात्मक निवारण हेतु आँगनबाड़ी सेविकाओं (AWW) को आवश्यकतानुसार ORS Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml bottle उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि AES के रोकथाम एवं शीघ्र प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावकारी बनाने के दृष्टिकोण से दिनांक 02.04.2024 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में SKMCH, मुजफ्फरपुर में आहूत बैठक यह निर्णय लिया गया है कि आशा कार्यकर्त्ताओं के अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविकाओं (AWW) को भी ORS का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml का 1 Bottle उपलब्ध कराया जाये। इसी क्रम में 12 जिलों में आँगनबाड़ी सेविकाओं की निम्न संख्या के अनुसार प्रत्येक आँगनबाड़ी सेविका (AWW)को ORS का 10 Sachet एवं Paracetamol Oral Liquid 125mg/5ml-60ml का 1 Bottle दिया जाना है।

क्रमांक	जिला का नाम	आँगनबाड़ी सेविका की संख्या	ORS Sachet की संख्या	Paracetamol Oral Liquid Bottle की संख्या
1	Patna	5300	53000	5300
2	Gopalganj	3000	30000	3000
3	Saran	4211	42110	4211
4	Siwan	3803	38030	3803
5	Darbhanga	4267	42670	4267
6	Samastipur	4913	49130	4913
7	Champaran (E)	5400	54000	5400
8	Champaran (W)	3896	38960	3896
9	Muzaffarpur	5509	55090	5509
10	Sheohar	699	6990	699
11	Sitamarhi	3710	37100	3710
12	Vaishali	3510	35100	3510
Total		**48218**	**482180**	**48218**

2. अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका में जिला के सम्मुख अंकित आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं औषधियों की मात्रा के अनुसार जिलों को ORS एवं Paracetamol Oral Liquid की आपूर्ति संबंधित जिला के जिला औषधि भंडार में करने की कृपा की जाये। जिला औषधि भंडार से प्रखंडवार आँगनबाड़ी केन्द्रों को आँगनबाड़ी सेविकाओं के लिये उपर्युक्त औषधियों का वितरण जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संबंधित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ICDS के संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं की देख-रेख में और उनके उत्तरदायित्व में ORS एवं Paracetamol Oral Liquid आँगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर

आँगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध करायी गयी दोनों औषधियों के वितरण एवं खपत का प्रतिवेदन महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को और उनके माध्यम से सिविल सर्जन एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त विधि से जिला स्तर पर आपूर्ति, वितरण एवं खपत का अनुश्रवण जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा ताकि लाभार्थियों तक उक्त औषधि का वितरण सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी स्तर पर औषधियाँ तिथिवाद, दुरूपयोग एवं नष्ट नहीं होने पाये।

3. आँगनबाड़ी सेविकायें बच्चों में AES अथवा अन्य बीमारियों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार में उक्त औषधियों का उपयोग कर सकेंगी। औषधियों के खपत हो जाने एवं अपरिहार्य स्थिति में पुनः इसकी आवश्यकता होने पर आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मांग पत्र समर्पित किया जाएगा और उस मांग पत्र के आधार पर समीक्षोपरांत उपयुक्त संख्या में औषधियों की भरपायी (Replenish) संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार से किया जायेगा। ORS एवं Paracetamol Oral Liquid आँगनबाड़ी सेविकाओं को दिए जाने संबंधी विवरणी की प्रविष्टि प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार पंजी में आँगनबाड़ी सेविकाओं के नाम के साथ किया जाना अनिवार्य है। भंडार पंजी के अनुसार DVDMS में issue के section में issue to third party के drop-down option में AWW option में आँगनबाड़ी सेविका का नाम अंकित करते हुये इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय।

4. अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशो के आलोक में आँगनबाड़ी सेविकाओं (AWW) को दिये जा रहे दोनों औषधियों ORS एवं Paracetamol Oral Liquid का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुहर्ष भगत)

ज्ञापांक SHSB/PM/596/2022/....81........ पटना, दिनांक...04/04/2024

प्रतिलिपिः

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 07/स०को०, दिनांक 04.04.2024 के क्रम में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- जिला पदाधिकारी पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सितामढ़ी एवं वैशाली को सूचनार्थ।
- निदेशक प्रमुख, नर्सिंग, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
- संबंधित सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका, समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NVBDCP), बिहार/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (आशा), राज्य स्वास्थ्य समिति/संबंधित जिला वेक्टर बोर्न पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharsha 04/04/24
अपर कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार